(12)

संख्याः 462 /VIII/11–08(सेवा)/2011

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनाँकः 2 / अप्रैल, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की वचनबद्ध/आवश्यक मदों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दि0 31 मार्च, 2011 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–16,30 एवं 31 में वचनबद्व/आवश्यक मदों की संलग्न–विवरणानुसार **आयोजनागत पक्ष में रू0 1,74,76000.00 (रू0 एक करोड़ चौहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 5,52,78,000 (रू0 पांच करोड़ बावन लाख अठहत्तर हजार मात्र)** अर्थात् **कुल रू0 7,27,54,000 (रू0 सात करोड़ सत्ताईस लाख चौवन हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– केन्द्र पोषित योजनाओं के राज्यांश की धनराशि केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किये जाने का प्राविधान है परन्तु सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना (80 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) हेतु गत वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त नही हो पायी है। अतः वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि आपके द्वारा योजनान्तर्गत गत वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु कुल व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को प्रेषित करते हुये अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 16, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, सेवायोजन उत्तराखण्ड के अधीन सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत स्थापित समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद आय–व्ययक 2011–12 में प्राविधानित धनराशि, अवमुक्त की जा रही धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

6– प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।

7– अवचनबद्व मानक मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, ताकि वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा सके।

8– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 462 (1)/VIII/11–08(सेवा)/2011, तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3– एनआईसी, सचिवालय ।
4– नियोजन विभाग।
5– वित्त अनुभाग–5।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या दिनांकः 462/VIII/11–08(सेवा)/2011, दिनांक अप्रैल, 2011 का संलग्नक :–

अनुदान संख्याः 16

(I) लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार
02–रोजगार सेवायें
001–निदेशन तथा प्रशासन
03– रोजगार संबंधी अधिष्ठान

धनराशि रूपये हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	2400	26000
2	02–मजदूरी	–	40
3	03–महंगाई भत्ता	1440	15600
4	06–अन्य भत्ते	264	2860
5	09–विद्युत देय	10	100
6	10–जलकर/जलप्रभार	15	30
7	17–किराया उपशुल्क और कर–स्वामित्व	350	756
8	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	200
	योगः–	**4529**	**45586**

अनुदान संख्याः 16

(II) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
800–,अन्य व्यय, 01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,
0191– विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय (80% के0स0)

धनराशि रूपये हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	900	–
2	03–महंगाई भत्ता	540	–
3	06–अन्य भत्ते	99	–
4	09–विद्युत देय	10	–
5	10–जलकर/जलप्रभार	05	–
6	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	–
	योगः–	**1604**	–

अनुदान संख्याः 16

(III) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
800– अन्य व्यय,
03– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछडे वर्ग हेतु)

धनराशि रू0 हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	1700	4400
2	03–महंगाई भत्ता	1020	2640
3	06–अन्य भत्ते	187	484
4	09–विद्युत देय	–	10
5	10–जलकर/जलप्रभार	5	5
6	17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	110	154
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	200
	योगः–	3072	7893

अनुदान संख्या–30

(I) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
800– अन्य व्यय,
02– अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,
0202– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्दों की स्थापना

धनराशि रू0 हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	2400	–
2	03–महंगाई भत्ता	1440	–
3	06–अन्य भत्ते	264	–
4	09–विद्युत देय	10	–
5	10–जलकर/जलप्रभार	5	–
6	17–किराया उपशुल्क कर–स्वामित्व	200	–
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50	–
	योगः–	4369	–

अनुदान संख्या–31

(I) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
796– ट्राईबल सब प्लान,
01– शिक्षण/मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना

धनराशि रू0 हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	2200	–
2	03–महंगाई भत्ता	1320	–
3	06–अन्य भत्ते	242	–
4	09–विद्युत देय	10	–
5	10–जलकर/जलप्रभार	5	–
6	17–किराया उपशुल्क कर–स्वामित्व	100	–
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25	–
	योगः–	3902	–

अनुदान संख्या–31

(II) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
02– रोजगार सेवायें,
796– ट्राईबल सब प्लान,
02–कालसी(देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र

धनराशि रू0 हजार में

क0स0	मानक मद संख्या का नाम	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	–	1000
2	03–महंगाई भत्ता	–	600
3	06–अन्य भत्ते	–	110
4	09–विद्युत देय	–	10
5	10–जलकर/जलप्रभार	–	5
6	17–किराया उपशुल्क कर–स्वामित्व	–	24
7	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–	50
	योगः–	–	1799

महायोगः–

आयोजनागत पक्षः–रू0 1,74,76,000.00 (₹ एक करोड़ चौहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र)

आयोजनेत्तर पक्षः– रू0 5,52,78,000.00 (₹ पांच करोड़ बावन लाख अठहत्तर हजार मात्र)

कुल धनराशि :– रू0 7,27,54,000.00 (₹ सात करोड़ सत्ताईस लाख चौवन हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव